न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
	पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन [illegible] स्थगन [illegible] है अतः पत्रावली [illegible] दिनांक......................को पेश हो।
31-8-2021	पत्रावली पेश हुई। मुलाहिजा उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O 7 R 11 जा० दी० स्वीकार किया जाकर वादी का मुकदमा नं० 179/2013 उनवानी हरिमोहन बनाम ओमप्रकाश वगैरह खारिज किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

मुकदमा नं0 :— 179/2013 तारीख रजू :—07.10.2013

पीठासीन अधिकारी — अनूपसिंह
R.A.S.

हरिमोहन बनाम ओमप्रकाश वगैराह

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी

उपस्थितः—1.श्री पुरूषोत्तमलाल गोयल एडवोकेट प्रार्थी/प्रतिवादी सं01ता3
2.श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट अप्रार्थी/ वादी

निर्णय

दिंनाक :— 31-8-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 ता 3 ने दिनांक 08.09.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि वादी द्वारा उपरोक्त दावा बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है, जिसका आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 1.10 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन वादी ने प्रतिवादी सं01 ता 3 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दायर किया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि वादी व प्रतिवादीगण सं01 ता 3 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2067—70 में आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 1.10 है0 स्थित सूरौठ तहसील हिण्डौन में गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है अर्थात वादी व प्रतिवादीगण सं01 ता 3 उक्त विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादी ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपने 1/4 हिस्से के तकास्मा व अपने हिस्से को पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा है। इस बाबत् दावे के मद नं08 में एक विनाय दावा दर्ज किया है जबकि मुताविक कानूनी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट धारा 53, 188 के तहत केवल मात्र खातेदार ही उक्त दावा दायर करने का अधिकारी है। इसलिए विवादित भूमि के जब वादी व प्रतिवादीगण सं01 ता 3 खातेदार है ही नही तो वादी को प्रतिवादीगण सं01 ता 3 के विरूद्ध तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का विनाय दावा पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, इसके अतिरिक्त राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार मुताविक कानून उक्त दावे को खातेदार ही ला सकता है। [illegible] प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। दावा बिना खातेदारी के [illegible] प्र[illegible]दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। दावा विनाय दावा के [illegible] खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का जबाव दिनांक 06.01.2017 को प्रस्तुत कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दावा पेश करना स्वीकर है। शेष तथ्य अस्वीकार हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 2 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। इस मद में दर्ज आराजीयात का वादी खातेदार काश्तकार है और वादी का उक्त आराजीयात में 1/4 हिस्सा होना स्वीकार है तथा प्रतिवादी सं01 ता व वादी के मध्य मौके पर बाहमी बंटवारा हो चुका है। वादी अपनी उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। यह मद प्रतिवादी सं01 ता 3 ने गलत दर्ज कर दिया है। वादी ने अपने हिस्से की आराजीयात का खातेदार काश्तकार है तथा वादी का ही अपने हिस्से की आराजीयात पर कब्जा काश्त है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। वादी अपनी आराजीयात मुतजिका मद नं01 वाद पत्र का खातेदार काश्तकार है तथा वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस वाद पत्र में चाही गयी रिलीफ प्राप्त करने का हकदार है। वादी ने अपना दावा मुताविक कानून सही पेश किया है तथा वादी को वखिलाफ प्रतिवादीगण विनाय दावा पैदा होने पर ही दावा वादी दायर किया गया है।

उज्रात मजीद –

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र दावा हाजा को देरीना करने की गरज से पेश किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं01 ता 3 कानूनन मेन्टेनेविल नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं01 ता 3 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत रिजेक्ट कर खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थी/वादी ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:21 IST
Reason: SelfAttested

वकुलाय फरीकेन की बहस [illegible] किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कि[illegible] के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 1.10 हे0 [illegible] ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में सुक्का पुत्र ग्यारसा [illegible] कोली निवासी ग्राम गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट [illegible]मामान्तकरण सं0 1154 नि0दि0 26.12.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

2011 – विरासत से सुक्का के स्थान पर ओमप्रकाश हरिमोहन बन्टी पि0 सुक्का रामोती बेबा सुक्का स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 1.10 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ का वादी एवं प्रतिवादी सं01 ता 3 बहिस्सा बराबर के रिकोर्डेड गैरखातेदार दर्ज है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी सं01 ता 3 विवादित आराजीयात के खातेदार नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी सं01 ता 3 को उक्त विवादित आराजीयात के खातेदारी अधिकार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और जब तक उनको गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक उक्त विवादित आराजीयात का विधिवत रूप से बंटवारा का दावा वादी लाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि वर्तमान में वादी उक्त विवादित आराजीयात का संयुक्त रूप से गैरखातदार दर्ज रिकार्ड है तथा गैरखातेदार को बंटवारा का दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 188 के तहत वही व्यक्ति दावा पेश कर सकता है जो विवादित आराजीयात का खातेदार हो। वादी ने अपने दावा में तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही गई है। वादी ने गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। जब वादी विवादित आराजीयात का खातेदार ही नहीं है बल्कि गैरखातेदार है तो उसको कानूनन तकास्मा का दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 53 में स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार ही तकास्मा का दावा लाने का अधिकारी है अर्थात खातेदारों के मध्य ही तकास्मा हो सकता है। गैरखातेदारों के मध्य तकास्मा नहीं हो सकता है। ऐसे हालात में प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 ता 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है तथा ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत वादी का दावा रिजेक्ट योग्य है।

अतः प्रार्थी/ प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का मुकदमा नं0 179/2013 उनवी हरिमोहन बनाम ओमप्रकाश वगैराह दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 1.10 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के प्रावधानों के तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner